पत्र संख्या : 6/ सी0आर0–54/2017–सा0 प्र0– 6015 /

एस0पी0एल0/ई-मेल

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय,
सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
बिहार।

पटना–15, दिनांक : 11-5 ~~अप्रैल~~, 2018

विषय :– **अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु जिलों में गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के बैठकों के आयोजनों को कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन से संबद्ध किये जाने के संबंध में।**

महाशय,

विषयगत संदर्भ के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति गठित है। जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में उक्त समिति की वर्ष में 4 बैठकों का आयोजन आवश्यक है। परन्तु, कई जिलों में इसका तद्नुरूप अनुपालन नहीं हो रहा है। फलस्वरूप, जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों के उद्देश्यपूर्ण आयोजन और उनकी अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मूल्यांकन को जिला पदाधिकारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन की प्रक्रिया से संबद्ध किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है।

2. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में अधीनस्थ जिला पदाधिकारियों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन से संबंधित अभ्युक्तियाँ दर्ज करते समय यह आवश्य होगा कि अभ्युक्तियों के अभिलेखन के निमित्त निर्धारित प्रपत्र–I के भाग–III की कंडिका–9 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठकों के आयोजनों एवं उनके अनुशंसाओं के क्रियान्वयन से संबंधित मूल्यांकन की अभ्युक्तियाँ स्पष्टतः अंकित की जाएँ।

3. अनुरोध है कि संदर्भित निर्णय का अनुपालन अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के अपर सचिव।